न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण –निगरानी/203/2018 दायरा दिनांक : **13.07.2018**

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्रम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. **लीलूराम पुत्र नीकूराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़**

–गैरनिगरानीकर्तागण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994</u>

उपस्थितः–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़

:: निर्णय :: दिनांक : **08.03.2022**

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 **लीलूराम पुत्र नीकूराम** जाति **कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा** के नाम से पट्टा संख्या **02** पट्टा बुक संख्या **133** दिनांक **22.05.2017** को जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 03 को उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था और ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड़ जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ उपस्थित आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को भेजे गये नोटिस विधिवत तामील होने तथा पर्याप्त सूचना होने के वाबजूद उनके उपस्थित नहीं आने पर आदेशिका दिनांक **14.09.2020** को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे आई गई। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को भेजे गये नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं होने पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तलवी की गई। परन्तु गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ की एक पक्षीय बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायते प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक कमेटी का गठन दिनांक 23.01.2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट अप्रेल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर निगरानी पट्टा जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिस पर विभागीय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को सूचना दी गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर यह निगरानी देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] पट्टे जारी करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप/[illegible] होता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति को ग्राम पंचायत [illegible] जारी किये गये पट्टों की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में [illegible]निगरानीकर्ता ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में [illegible] है इसलिए हस[illegible]करण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:31:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ की एक तरफा बहस सुनी गई। विकास अधिकारी, ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (क) के तहत जारी कर दिया जबकि उक्त नियम के तहत पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार राशि जमा ना करवाकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। उक्त पट्टा बिना पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया है। उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं करवाया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

हमने निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार– "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/– राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अलवोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर उक्त प्लाट/भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्लाट पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज ग्रम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत निगरानी पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का विवादित प्लाट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्धंन कर बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं। **प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 हरीसिंहपुरा का निवासी है परन्तु ग्राम पंचायत ने उसका पता ग्राम 7 एमसी अंकित कर उक्त पट्टा जारी किया है।** उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत बीरमाना का पट्टा संख्या 02 बुक संख्या 133 दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीरमाना को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner